न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं0 30/2017

1. भीवडा पुत्र मनना जाति बागरिया, निवासी देवगांव तहसील केकडी जिला–अजमेर।
2. लालाराम पुत्र नारायण,जाति बागरिया, निवासी देवगॉव तहसील केकडी, जिला–अजमेर।
3. नन्दा पुत्र श्री भूवाना जाति बागरिया, निवासी देवल तहसील–मालपुरा जिला–टोंक।
4. मोरसी पत्नि श्री नाथू, जाति बागरिया निवासी देवपुरा तहसील मालपुरा जिला–टोंक

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

राज सरकार जरिये थानाधिकारी, केकडी जिला अजमेर। ..... **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम,1995
(प्रथम सूचना संख्या 503/2017 सरकार बनाम प्रधान वगैरह)

उपस्थित :– 1. रामसिंह राठौड, पृथ्वीसिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक– 14.12.2017

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुदगीनामा अन्तर्गत धारा 7 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के गौवशं गाय एवं बछडी कुल 16 नग पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 503/2017 अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 गौवशं अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया है। प्रार्थीगण दुधारू गायों की खरीद फरोक्त कर बेचान का कार्य करते है। जब्त गायो एवं बछडीयों को कोटा बेचने हेतु ले जाया रहा था। पुलिस थाना कंकडी ने प्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण के गौवशं को जब्त कर पिकअप चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप संख्या आरजे–26जीए–3809 में तीन गाये जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष तथा एक बछडी जिसकी उम्र 1 वर्ष है। जिनका मालिक प्रार्थी संख्या 01 भीवडा पुत्र मनना बागरिया है। तथा पिकअप संख्या आर जे–26–जीए–4028 में तीन गाये जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष है उनका मालिक लालाराम पुत्र श्री नारायण जाति बागरिया निवासी देवगांव

जिला कलक्टर
अजमेर

तहसील केकड़ी जिला अजमेर है। इसी प्रकार पिकअप संख्या आरजे–48–जीए- 0265 में तीन गाये जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष एवं 1 बछड़ी जिसकी उम्र 1 वर्ष है एक छोटी बछड़ी जिसकी उम्र 15 से 20 दिन है। जिनका मालिक अप्रार्थी सं0 3 नन्दा पुत्र श्री भूवाना जाति बागरिया है। तथा पिकअप संख्या आरजे–01–पीबी–2617 में तीनगाये जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष है तथ 1 बछड़ी जिसकी उम्र 1वर्ष 2 माह है. इनकी मालिक अप्रार्थी संख्या 04 नौरती पत्नि नाथू जाति बागरिया निवासी देवपुरा तहसील मालपुरा जिला–टौंक है। सभी गाये दुधारू एवं गर्भवती है, जो किसी भी प्रकार से कटने के काम नहीं आती है। प्रार्थीगण 1 व 2, ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी एवं प्रार्थी संख्या 3 ग्राम देवल एवं प्रार्थी सं0 04 ग्राम देवपुरा तहसील मालपुरा जिला–टौंक के स्थायी निवासी है, जहॉ इनकी काफी चल अचल सम्पति है, इसलिए इनके कहीं भाग कर जाने की संभावना भी नहीं है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थीगण के गौवंश गायों एवं बछड़ियों को सुपुर्दगी नामें पर छोड़े जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी केकड़ी से पैरावाइज टिप्पणी मय केस डायरी तलब की गई। टिप्पणी मय केस डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थीगण के गौवंश गाय एवं बछड़ी कुल 16 नग पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 503/2017 अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रबजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 गौवंश अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया है। प्रार्थीगण दुधारू गायों की खरीद फरोक्त कर बेचान का कार्य करते है। जब्त गायो एवं बछड़ीयों को छोटा बेचने हेतु ले जाया रहा था। पुलिस थाना केकड़ी ने प्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण के गौवंश को जब्त कर पिकअप चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप संख्या आरजे–26जीए–3809 मे तीन गाये जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष तथा एक बछड़ी जिसकी उम्र 1 वर्ष है। जिनका मालिक प्रार्थी संख्या 01 भीवडा पुत्र मनना बागरिया है। तथा पिकअप संख्या आर जे 26 -जीए -4028 में तीन गाये भूरा लाल जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष है इनका मालिक लालाराम पुत्र श्री नारायण जाति बागरिया निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर है। इसी प्रकार पिकअप संख्या आरजे–48–जीए–0265 में तीन गाये जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष एवं 1 बछड़ी जिसकी उम्र 1 वर्ष है एक छोटी बछड़ी जिसकी उम्र 15 से 20 दिन है। जिनका मालिक अप्रार्थी सं0 3 नन्दा पुत्र श्री भूवाना जाति बागरिया है। तथा पिकअप संख्या आरजे–01–पीबी–2617 में तीन गाये जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष है तथ 1 बछड़ी जिसकी उम्र 1 वर्ष 2 माह है. इनकी मालिक अप्रार्थी संख्या 04 नौरती पत्नि नाथू जाति बागरिया निवासी देवपुरा तहसील मालपुरा जिला–टौंक है। सभी गाये दुधारू एवं गर्भवती है, जो किसी भी प्रकार से कटने के काम नहीं आती है। प्रार्थीगण 1, 2 ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी एवं प्रार्थी संख्या 3 ग्राम देवल एवं प्रार्थी सं0 04 ग्राम देवपुरा तहसील मालपुरा जिला–टौंक के स्थायी निवासी है, जहॉ प्रार्थीगण की काफी चल अचल सम्पति है, इसलिए प्रार्थीगण के कहीं भाग

जिला कलेक्टर
अजमेर

कर जाने की भी संभावना नहीं है। पुलिस द्वारा उक्त जब्त गौवंश के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस को अब इन गौवंश की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक समय इन गायों एवं बछाडियों के गौशाला में रहने से इनके बीमार पड़ने की संभावना है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक शर्त की पालना करने एवं जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थीगण के गौवंश गायों एवं बछडियों को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार का कथन है कि जरिये टेलीफोन थाना हाजा को जूनिया से केकडी की तरफ पिकअप गाडियों में गोवंश भरकर मध्यप्रदेश राज्य में वध हेतु ले जाये जाने की इतला पर उक्त चारों पिकअप को पुलिस बल द्वारा रोका गया. बरवक्त पिकअपों गाडियों में अवैध गौवंश निर्दयतापूर्वक ठुस ठुस कर रस्सी से बंधी हुई भरी मिली जो कि भूख प्यास एवं हिलने डूलने की जगह नहीं होने से पीडाग्रस्त हालत में थी। पूछताछ में सभी चालकों द्वारा उक्त गौवंश का मालिक सुखराम पुत्र नानूराम जाति बागरिया उम्र 21 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक को बताया गया. गौवंश मालिक सुखराम के पास राज्य से बाहर गौवंश को ले जाने सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र तथा परिवहन करने का परमिट नहीं पाया गया। अवैध गौ वंश को जप्त कर बाद मेडिकल मुआयना श्री नन्दी गौ सेवा समिति आश्रम कोटा रोड सरवाड में देखभाल हेतु सुपुर्द किया गया है। चारों चालको एवं गोवंश मालिक सुखराम के विरूद्ध धारा 3, 5, 6, 8 ,9 गोवंश अधिनियम 1995 का प्रभाणित पाया जाने पर उप पुलिस अधीक्षक, केकड़ी जिला–अजमेर से घालनी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट नं0 538/17 दिनांक 28.11. 2017 को कता की गई है जो सम्बन्धित न्यायालय में पेश की जावेगी। पुलिस अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या नियांत का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 2 के (छ) में सक्षम अधिकारी से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है। धारा 7 अभिग्रहित गौवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के तहत् अभिग्रहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकता है :–

1– गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी
2– राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उप बन्धों के अधीन शासित गौशाला
3– ऐसा कोई गौ–सदन अथवा
4– इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौ–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।

चूंकि अधिनियम की धारा 7 के तहत् जिन संस्था को गौवंश सौंपा जाने के प्रावधान किये गये है उनमें प्रार्थीगण जो कि न तो उक्त गौवंश के मालिक स्पष्ट है और न ही वो गौशाला गो–सदन आदि के संचालक है। उक्त जप्त गौवंश को बिना टी.पी. व परमिट के चार पीकअप गाडियों में क्रूरता पूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था के ठसाठस भर कर ले जाने दौरान पुलिस थाना केकडी द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त प्रावधानों के तहत् उपयुक्त

व्यक्ति भी प्रतीत नहीं होते हैं। इनको गौवंश सौंपने पर इनके खुर्द बुर्द होने अथवा वध किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय केस डायरी अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना केकडी द्वारा मुल्जिमान को बिना लाइसेन्स, परमीट एवं बिना किसी भी दस्तावेज के गौवंश गाये एवं बछडियों को बिना चारे पानी की व्यवस्था के पिकअप संख्या आरजे–26जीए–3809, पिकअप संख्या आर जे–26–जीए–4028, पिकअप संख्या आरजे–48–जीए–0265, पिकअप संख्या अरजे–01–धीबी–2617 में क्रूरता पूर्वक ठसाठस भरकर परिवहन कर ले जाते हुये पकड़ा है। बरवक्त जप्ती पिकअप चालकों द्वारा उक्त जप्त गौवंश का मालिक सुखराम पुत्र श्री नानूराम जाति बागरिया निवासी देवपुरा पुलिस थाना लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक को बताया गया जिसे पुलिस थाना केकडी द्वारा मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि सुपुर्दगीनामा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (अन्य व्यक्तियों) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनका पुलिस थाना में दर्ज एफ.आई. आर संख्या 503/2017 में भी कहीं जिक्र नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कथनों को कोई ठोस आधार से साबित नहीं किया गया है, कि वे जप्त गौवंश के मालिक किस प्रकार से हैं। इस बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान दौरान भी प्रार्थीगण गोवंश का मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाये है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार प्रार्थी के कथन स्पष्ट नहीं है। जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे अवैध रूप से (कटने के लिये) अन्यत्र ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा गौवंश की देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला, में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध धारा धारा 3, 5, 6, 8 ,9 गोवंश अधिनियम 1995 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् जिन्हें अभिगृहित गोवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया जा सकता है उसमें गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संगठन या एजेन्सी, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन शासित गौशाला ऐसा कोई गौसदन, अथवा इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौसदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने के प्रावधान है। चूंकि प्रार्थीगण उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त गौवंशीय गाये एवं बछडियाँ अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी प्राप्ति के उपयुक्त पात्र व्यक्ति नहीं पाये जाने से अभिगृहित गौवंश गाये एवं बछडियाँ इन्हें सुपुर्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के मध्यनजर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर
अजमेर